



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर: "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur: "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

NHAI/RO/NAG/UT-463/NH-53/Electric/2024-25/ 2963

Date: 29.03.2025

Invitation of Public Comments

Sub: Balance works for four laning of Packages-II from km 220.000 to km 270.000 section of Amravati - Chikhali NH-53 in the State of Maharashtra executed on Hybrid Annuity Mode under NHDP Phase-IV-Proposal for laying of 11kv underground cable and 11kv overhead NH-53 at km 262.320 to km 267.400 near Vyala to Kanheri Gawali, Ta. Balapur & Dist. Akola -Reg.

Ref.:

1. PD, PIU Amravati letter no. 3318 dated 26.03.2025.
2. EE, MSEDCL, Akola letter no. 384 dated 30.01.2025.

It is to inform all concern that M/s MSEDCL letter under reference (2) has submitted a proposal for the subjected work and PIU has recommended the above proposal vide letter under reference (1) for approval of the Competent Authority / Highway Administrator.

2. The alignment proposed by that M/s MSEDCL for subject section is as follows:
 - Underground laying and Pole to Pole laying from km 262.320 to km 267.400.
3. As per Para-4 of Ministry's Circular No.RW/NH-33044/29/2015/S&R(R), dated 22.11.2016, the Highway Administration shall be put out in the public domain for 30 days for seeking claims and objections (on grounds of public inconvenience, safety and general public interest).
4. In view of the above, the comments / objections of affected public is hereby invited with reference to the Ministry's circular dated 28.01.2016. The objections / comments may be addressed to the below mentioned address within 30 days from issuance of public comments, beyond due date, no comments/ objections will be accepted.

The Regional Officer,
Regional Office - Nagpur
National Highways Authority of India,
"Narang Towers", 3rd Floor,
Opp.to Office of Dy. Commissioner of Police Traffic (Nagpur City),
Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440001,
Maharashtra, Tel : 0712-2520091 Email : ronagpur@nhai.org

मि. 29/3/25

(निर्मल एम. खाटे),

महाप्रबंधक (तकनीकी)

Copy to:

- (i) Web Admn., NHAI, HQ, New Delhi - for uploading in NHAI's website [web-admin@nhai.org]
- (ii) Director, NIC, New Delhi - for uploading in Ministry's website [mansoor@nic.in]



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर: "नारंग टावर", तिसरी मंजिल, उपआयुक्त यातायात पुलिस (नागपुर शहर)
कार्यालय के सामने, पाम रोड, सिविल लाईन्स नागपुर-440 001 महाराष्ट्र टेलि. 0712-2520091, 2980554
ई-मेल : ronagpur@nhai.org वेबसाइट : www.nhai.gov.in



National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

Regional Office - Nagpur: "Narang Towers", 3rd Floor, Opp. to Office of Dy. Commissioner of
Police Traffic (Nagpur City), Palm Road, Civil Lines, Nagpur-440 001 Maharashtra. Tel. 0712-2520091, 2980554
e-mail : ronagpur@nhai.org website : www.nhai.gov.in

एनएचएआई/आरओ/एनएजी/यूटी-463/एनएच-53/इलेक्ट्रिक/2024-25/ 2963

दिनांक: 29.03.2025

सार्वजनिक टिप्पणियों का आमंत्रण

विषय: महाराष्ट्र राज्य में अमरावती- चिखली एनएच-53 के किमी 220.000 से किमी 270.000 तक पैकेज-II के चार लेनिंग के लिए एनएचडीपी चरण-IV के अंतर्गत हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर निष्पादित किए गए शेष कार्य - व्याला से कन्हेरी के पास किमी 262.320 से किमी 267.400 तक 11 केवी भूमिगत केबल और 11 केवी ओवरहेड एनएच-53 बिछाने का प्रस्ताव। गवली, ता. बालापुर एवं जिला. अकोला -रजि.

संदर्भ:

1. पीडी, पीआईयू अमरावती पत्र क्रमांक 3318 दिनांक 26.03.2025।
2. ईई, एमएसईडीसीएल, अकोला पत्र क्रमांक 384 दिनांक 30.01.2025।

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एमएसईडीसीएल ने संदर्भ (2) के तहत पत्र के तहत विषयगत कार्य के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और पीआईयू ने सक्षम प्राधिकारी / राजमार्ग प्रशासक के अनुमोदन के लिए संदर्भ (1) के तहत उपरोक्त प्रस्ताव की सिफारिश की है।

2. मेसर्स एमएसईडीसीएल द्वारा विषय अनुभाग के लिए प्रस्तावित संरेखण निम्नानुसार है:
 - किमी 262.320 से किमी 267.400 तक भूमिगत बिछाने और पोल से पोल तक बिछाने का कार्य।
3. मंत्रालय के परिपत्र संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/29/2015/एसएंडआर(आर), दिनांक 22.11.2016 के पैरा-4 के अनुसार, राजमार्ग प्रशासन को दावे और आपत्तियां (सार्वजनिक असुविधा, सुरक्षा और सामान्य सार्वजनिक हित के आधार पर) मांगने के लिए 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।
4. उपरोक्त के मद्देनजर, मंत्रालय के दिनांक 28.01.2016 के परिपत्र के संदर्भ में प्रभावित जनता की टिप्पणियाँ/आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं। आपत्तियाँ/टिप्पणियाँ जनता की टिप्पणियाँ जारी होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर भेजी जा सकती हैं, नियत तिथि के बाद कोई भी टिप्पणी/आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

क्षेत्रीय अधिकारी,

क्षेत्रीय कार्यालय - नागपुर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

"नारंग टावर्स", तीसरी मंजिल,

पुलिस उप आयुक्त यातायात कार्यालय के सामने (नागपुर शहर),

पाम रोड, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001,

महाराष्ट्र, दूरभाष: 0712-2520091 ईमेल: ronagpur@nhai.org

मि. 313
29/3/25

(निर्मल एम झाडे)

महाप्रबंधक (तकनीकी)

में कॉपी:

- (i) वेब प्रशासन, एनएचएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली - एनएचएआई की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [web-admin@nhai.org]
- (ii) निदेशक, एनआईसी, नई दिल्ली - मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु [mansoor@nic.in]